राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2078/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्रीराम सैनी मालियान की बडी ढाणी वार्ड नं- 8 ग्राम पोस्ट थोई सीकर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सुचना अधिकारी जल संसाधन विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रविन्द्र गर्ग, अधिशाषी अभियंता उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 8-8-17 के द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर क्षेत्र-1 के कार्यालय आदेश दिनांक 29-6-15 की अनुपालना में विभाग द्वारा ग्राम पंचायत थोई जिला सीकर में ग्रामीणों को पेयजल सुलभ करवाने के लिए बनवाये गये उच्च जलाशय, ट्यूब वेलों, पाईप लाईनो आदि के संबंध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 2-5-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं करवाये जाने के कारण सूचना नहीं दी जा सकी तदानुसार प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 7-11-17 से खारिज कर दी गई थी।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 2-5-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 22-9-17 से 318 पृष्ठीय सूचना हेतु 636/- रू0 की वांछना की गई है जो विधिअनुसार निर्धारित समय सीमा में नहीं की गई है। अतः प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 7-11-17 विधि संगत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त अपीलीय निर्णय दिनांक 7-11-17 को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को वांछित सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. अस्तु, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त